

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श चवा
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. लालाराम पुत्र पुरखाराम 2. मालाराम पुत्र
नारणाराम जातियान जाट, निवासीयान
केरली (आदर्श-चवा) तहसील एवं जिला
बाड़मेर।

1. ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह 2. शेरसिंह
पुत्र मानसिंह 3. भीमसिंह पुत्र मानसिंह
4. गुणेशसिंह पुत्र भगवानसिंह 5. गजेसिंह
पुत्र भगवानसिंह 6. औकसिंह पुत्र
पहाडसिंह 8. हकसिंह पुत्र पहाडसिंह 9.
टीलसिंह पुत्र पहाडसिंह जातियान
राजपूत, निवासी मूले का तला
(गंगासरा) तहसील व जिला बाड़मेर 10.
तुलछाराम पुत्र पेमाराम 11. खेमाराम पुत्र
पेमाराम निवासी मूले का तला
(गंगासरा) तहसील व जिला बाड़मेर 12.
हनुमानराम पुत्र टीकमाराम 13.
ठाकराराम पुत्र टीकमाराम 14. भैराराम
पुत्र हनुमानराम 15. तुलछाराम पुत्र
आसुराम 16. बागाराम पुत्र आसुराम 17.
विशनाराम पुत्र पेमाराम 18. रूपाराम पुत्र
पेमाराम जातियान जाट, निवासीयान
केरली (आदर्श चवा) तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-613/2018 दिनांक-02.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा केरली, पटवार हल्का आदर्श चवा, तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1426 रकबा 87.02 बीघा, किस्म बाराणी सोयम के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग
द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 02/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6511-6514

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लालाराम पुत्र पुरखाराम वगैराह जातियान जाट, निवासीयान केरली (आदर्श-चवा) तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ईश्वरसिंह पुत्र मानसिंह वगैराह जाति राजपूत/जाट, निवासी मूले का तला (गंगासरा)/केरली (आदर्श चवा) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर